बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
विज्ञापन सं0– 01/2022

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–10000, दिनांक–10.07.2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों यथा–अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि के **निम्न वर्गीय लिपिक** (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–589, दिनांक–14.01.2020 द्वारा सम्मिलित) एवं **उच्च वर्गीय लिपिक** (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–11651, दिनांक–12.07.2022 द्वारा सम्मिलित) के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु तत्संबंधी पदों से **सेवानिवृत्त कर्मियों** से संलग्न प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र०	पद का नाम	अनारक्षित	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या						कुल पदों की सं०	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की सं०	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं०	अर्हता
			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पिछड़े वर्गों की महिला				
1	निम्न वर्गीय लिपिक	132	33	40	59	53	4	10	331	6	VI - 4 DD - 3 OH - 3 MD/MUD- 3	बिहार सरकार के किसी भी विभाग के **सेवानिवृत** निम्न वर्गीय लिपिक
		इनमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद										
		46	10	13	22	20	1	–	112			
2	उच्च वर्गीय लिपिक	65	16	19	29	25	2	5	161	3	VI - 2 DD - 2 OH - 1 MD/MUD- 1	बिहार सरकार के किसी भी विभाग के **सेवानिवृत** उच्च वर्गीय लिपिक
		इनमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद										
		24	4	6	11	9	–	–	54			

नोटः– उपर्युक्त रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट या बढ़ सकती हैं। बिहार सरकार के अधीन समकक्ष पद से सेवनिवृत्त कर्मी भी आवेदन दे सकते हैं।

2. **आयु सीमा–**

क. निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों (अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक) अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक, के लिये होगा। चयनित कर्मी की सेवा का विस्तार अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार 01–01 वर्ष के लिये उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। सेवा विस्तार का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा।

ख. उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी। चयन एक वर्ष (अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक) अथवा उक्त पद पर प्रोन्नति होने तक, के लिये होगा। सेवा विस्तार का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा।

3. क. आरक्षण कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यथियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख. दिव्यांग कोटि का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ग. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें इस विज्ञापन के तहत उसी पद पर नियोजन किया जा सकेगा।

5. आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. वैसे सेवानिवृत्त कर्मी जिनपर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप चल रहा हो अथवा जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जायेंगी। वैसे कर्मी, जिन्हें सेवाकाल के अंतिम 10 (दस) वर्षों में कोई वृहत् दंड अथवा अंतिम 5 (पाँच) वर्षों में में कोई दंड मिला हो, वे नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

7. नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

8. आवेदकों को नियोजन हेतु आवेदन–पत्र अपने अंतिम पदस्थापन कार्यालय (जहाँ से आवेदक सेवानिवृत्त हुए हैं) से अग्रसारित कराना अनिवार्य होगा। आवेदन–पत्र में पिछले पाँच वर्ष की गोपनीय अभियुक्ति संबंधित कार्यालय प्रधान (अंतिम पदस्थापन कार्यालय) द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। आवेदन–पत्र निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को भेजा जायेगा।

9. इस विज्ञापन के तहत दिनांक–30.09.2022 को 06:00 बजे अप0 तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। आवेदन हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक के माध्यम से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के प्राप्ति शाखा में जमा किया जा सकेगा। विज्ञापन से संबंधित जानकारी एवं आवेदन करने हेतु विहित–प्रपत्र विभागीय बेवसाईट https://state.bihar.gov.in/dst पर देखा जा सकता है।

07/9/2022

(वैभव चौधरी)
निदेशक

ज्ञापांक–वि0प्रा0(III)स्था0–01/2022/ 2767 /पटना, दिनांक– 08/9/22

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

07/9/2022

निदेशक

पूर्व से सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजे जाने हेतु जाँच–पत्र

<table>
<tr><td>1.</td><td>विभाग / कार्यालय का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पद का नाम जिसपर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>प्रस्तावित पद पर संविदा नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या एवं दिनांक।</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रस्तावित पद संकल्प सं0–10000, दिनांक–10.07. 2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>i. अभयर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पद नाम (जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है)
ii. उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>i. विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुआ है।
ii. विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>विभाग में उसी पद पर पूर्व में संविदा के आधार पर कार्यानुभव की अवधि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>i. अभ्यर्थी की जन्म तिथि
ii. सेवा निवृत्ति की तिथि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>अभ्यर्थी को सेवा काल में दिये गये दंडों का विवरण</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं।</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">12.</td><td rowspan="6">अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षो की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्य मुल्यांकण प्रतिवेदन का विवरण</td><td></td><td>वर्ष</td><td>अभ्युक्ति</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td></tr>
</table>

प्रस्ताव चयन समिति को अग्रसारित करने वाले
विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

206

अनुसूची – 1

सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु अंकों का निर्धारण

	विचारण क्षेत्र	अंक	अधिकतम अंक
1	संबंधित विभाग में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 5 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 3 अंक 3. 10 वर्ष से कम कार्यानुभव – 2 अंक	5 अंक
2.	अन्य विभागों में में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 3 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 2 अंक 3. 10 वर्ष से अधिक कार्यानुभव – 1 अंक	3 अंक
3.	सेवा निवृत्ति के उपरांत उसी विभाग में उसी पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक कार्यानुभव	1. अधिकतम 2 वर्षों का कार्यानुभव – 2 अंक 2. 1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम कार्यानुभव – – 1 अंक	2 अंक
4.	संविदा नियोजन के समय उम्र	1. 60 वर्ष – 5 अंक 2. 61 वर्ष – 4 अंक 3. 62 वर्ष – 3 अंक 4. 63 वर्ष – 2 अंक 5. 64 वर्ष – 1 अंक	5 अंक
5.	पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्यमुल्यांकण प्रतिवेदन	1. प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभ्यु0 के लिए – 2 अंक 2. प्रति वर्ष बहुत अच्छा अभ्यु0 के लिए –1.5 अंक 3. प्रति वर्ष अच्छा अभ्यु0 के लिए – 1 अंक	10 अंक
		कुल अंक	25 अंक